

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, अस्कोट (पिथौरागढ़)।

E-mail- eepwdaskote@gmail.com दिनांक 12 –2023

पत्रांक-2542/13 सी

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,

वन प्रभाग पिथौरागढ़।

विषय:— जनपद पिथौरागढ़ में मा० मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 1711/2015 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र डीडीहाट के अन्तर्गत—सैन्थल से मौचोरा (शहीद जमन सिंह) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 3.115 हे० गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन (Online No.FP /UK / ROAD /50469/2020)।

सन्दर्भः— भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय देहरादून का पंत्राक 8बी/यू०सी०पी०/06/72/ 2021/एफ०सी०/982 दिनांक 20.10.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में ऑनलाईन लगाई गई आपत्ति का बिन्दवार निराकरण निम्नलिखित है:--

सं0		गाई गई आपत्ति का बिन्दुवार निराकरण निम्नलिखित है:—
	लगाई गई आपत्ति	आपितत का निराकरण
1	In reply to point No.1 of this office EDS dated 06.06.2022, the clarification provided is not acceptable as the location of village 'Bijori' is not marked. It is requested to submit the reply to point No.1 of this office EDS letter 06.06.2022.	मोटर मार्ग निर्माण हेतु शासनादेश 4.00 किमी० लम्बाई मे स्वीकृत है। दिनांक 06.06.2022 को लगाई गई आपत्ति पत्र के द्वारा मोटर मार्ग की लम्बाई लाभान्वित आबादी तक संशोधित करते हुए प्रस्ताव गठन हेतु कहा गया है। जिसके कम मे अवगत कराना है कि प्रस्तावित मोटर मार्ग के समरेखण से ग्राम गदाली, बड़ीगांव व मौचोरा सीधे रूप से लाभान्वित हो रहे हैं, परन्तु मोटर मार्ग की स्वीकृत लम्बाई 4.00 किमी० ही होने के कारण बिजौरी तक मोटर मार्ग नही पहुँच पा रहा है। मोटर मार्ग 0.500 किमी की अतिरिक्त लम्बाई पर बिजौरी तक जुड जाता, परन्तु स्वीकृत लम्बाई के सापेक्ष ही समरेखण अनुमोदित कराये जाने के कारण मोटर मार्ग वन क्षेत्र में समाप्त हो रहा है। मोटर मार्ग की लम्बाई कम किया जाना सम्भव नहीं है। इसको अतिरिक्त स्थानीय जनता द्वारा भी मोटर मार्ग स्वीकृत लम्बाई से कम लम्बाई में निर्मित किये जाने हेतु विरोध किया जा रहा है। जिसके कम में मोटर मार्ग के संशोधित प्रस्ताव गठित किये जाने सम्भव नहीं है। अतः स्वीकृत 4.00 किमी० लम्बाई में ही मोटर मार्ग निर्माण किया जाना उचित होगा।
2	In reply to point No.2 the, correction in	पार्ट-11 प्रभागीय वनाधिकारी स्तर से सम्बन्धित है।
	tree enumeration is still not done in	
	online portal. As per the details provided only 59 trees are required to	
	felled, therefore it is requested to make	
	necessary amendments at para 4 in Part	· v
	11 of the proposal in online portal.	

अतः आपित्तियों का निराकरण कर अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

(ई० संजीव राठी) अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अप्रकोट(पिथौरागढ)

पत्रांक /13 सी /तद्दिनांक

प्रतिलिपि— 1. सहायक अभियन्ता निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित। 2 खण्डीय अमीन निर्माण खण्ड,लो०नि०वि० अस्कोट को सूचनार्थ प्रेषित।

> अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड लो०नि०वि० अस्कोट(पिथौरागढ़)

H:\Latter Forest22222222222.doc